



कार्यालय मुख्य वनसंरक्षक बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर (छ.ग.)

सिंधी कॉलोनी, जरहाभाठा, बिलासपुर (छ.ग.) पिन कोड-495001

फोन : 07752-227624, फैक्स : 07752-221385 E-mail : ccf.bilaspur-cg@gov.in

क्रमांक/तक./ 800

बिलासपुर, दिनांक 17-03-2021

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक

(भू-प्रबंध)

अरण्य भवन, अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

विषय :-

Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 proposed for BharatNet Project Phase-II Raigarh Forest Division " Forest land required for Optical Fiber cable laying works under National Optical Fiber Network Project of Bharat Broadband Network Limited (BBNL) for providing Broadband Connectivity of Block to Gram Panchayats, Optical Fiber Cable Laying from Baramkela, Tamnar and Raigarh Block Headquarter to Gram Panchayats" area- 8.806 ha. - regarding . (Reg. No. FP/CG/OFC/45093/2020)

संदर्भ :-

पंजीयन क्रमांक - FP/CG/OFC/45093/2010

आपका पत्र क्र. / भू-प्रबंध/विविध/ एल.एम.-115-866/1536 रायपुर दिनांक 19.08.2020 एवं वनमंडलाधिकारी रायगढ़ का पत्र क्र./तक./384 दिनांक 12.03.2021

विषयांतर्गत Chhattisgarh Infotech Promotion Society (CHiPs) द्वारा Bharatnet Project Phase II Raigarh Forest Division "Forest Land required for Optical Fiber Cable Laying works under National Optical Fiber Network Project of Bharat Broadband Network Limited (BBNL) for providing Broadband Connectivity of Blocks to Gram Panchyats. Optical Fiber Cable Laying from Baramkela, Tamnar and Raigarh Block Headquarter to Gram Panchyats" हेतु रायगढ़ जिले के रायगढ़ वनमण्डल अंतर्गत कुल क्षेत्र रकबा 8.806 हे., वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव 21 बिन्दुओं की चेक लिस्ट अनुसार विधिवत व्यपवर्तन प्रस्ताव निम्नानुसार है:-

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रस्ताव			
क्र.	अभिलेख का विवरण	पृ.क्र.	विवरण
1	आवेदक विभाग का मांग पत्र	1-10	फार्म A भाग -1 में संलग्न है ।
2	रजिस्ट्रेशन कोड एवं वर्ष की पुष्टि हेतु ऑनलाईन एकनालेजमेंट स्लिप की छायाप्रति	11-12	पंजीयन क्र. FP/CG/OFC/45093/2020 Date 19.08.2020 Attached
3	वन क्षेत्र विवरण	13-17	संलग्न है ।

4	गैर वन क्षेत्र विवरण	18	संलग्न है ।
5	प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे आफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1: 50000 स्केल पर ।	19-22	संलग्न है ।
6	वन क्षेत्र का इंडेक्स मैप	23-88	संलग्न है ।
7	प्रपत्र -4 में प्रस्ताव	89-95	संलग्न है ।
8	प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप	96-98	संलग्न है ।
9	न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोग प्रमाण पत्र	99	संलग्न है ।
10	अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यो/जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण एवं उनके विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही	100	संलग्न है ।
11	वनाधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन मय स्पष्ट अनुशंसा, नाम, पदनाम, सील एवं दिनांक सहित (प्रपत्र I से IV तक) प्रपत्र IV मुख्यालय से भरा जावेगा	101-112	संलग्न है ।
12	ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण पत्र	113	संलग्न है ।
13	संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र (छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ-5-20/2007/10-2 दिनांक 12/01/2010)।	114-117	संलग्न है ।
14	जिले की कुल वनभूमि (रकबा हे.मे.) ।	118	संलग्न है ।
15	व.स.अ. - 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे.मे.	119	संलग्न है ।
16	व.स.अ. - 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा हे.मे.	120	संलग्न है ।
17	प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी (छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ-5-20/2007/10-2 दिनांक 12/01/2010)।	121	संलग्न है ।
18	वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि निरंक हो तो भी प्रमाणित होगा),। (भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ,नई दिल्ली का पत्र क्रमांक/F.No.11-9/1998 दिनांक 3/8/2009)।	122-123	संलग्न है ।

19	राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण-पत्र (कार्यालयीन पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध/1317 दिनांक 25.05.2007)	124-126	संलग्न है।
राज्य शासन से संबंधित अभिलेख			
20	पंजीयन क्रमांक - पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क कर विवरण (छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ-7-22/2009/10-2 दिनांक 31.07.2009)	127-128	संलग्न है।
21	पंजीयन क्रमांक - पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क कर विवरण (छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ-7-22/2009/10-2 दिनांक 31.07.2009)	129	संलग्न है।

संलग्न :- प्रस्ताव (04 प्रतियों में)।

मुख्य वनसंरक्षक
बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर

पृ. क्रमांक/तक.अधि./ 801

/2021/बिलासपुर दिनांक :- 17-03-2021

प्रतिलिपि :-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/व.सं.अ.) अटल नगर रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित।
2. **ACEO**, Chhattisgarh Infotech Promotion Society (Chips), 2nd Floor, SDC Building Civil line Raipur को सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य वनसंरक्षक
बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर

मुख्य वनसंरक्षक अधिनियम, 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव

(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग-3

(संबंधित वनसंरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14. स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित मुख्य वनसंरक्षक ने निरीक्षण किया है। (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गए प्रक्षेपों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।

आवेदनकर्ता, ACEO, Chhattisgarh Infotech Promotion Society CHiPS, 2nd Floor, SDC Building, Civil Line Raipur (C.G.) के द्वारा 8.806 हे. वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत आवेदित वनभूमि आरक्षित 2.991 हे., संरक्षित 4.541 हे., नारंगी 0.945 हे. एवं राजस्व 0.329 हे. कुल 8.806 हे. Optical Fiber Cable Line का निरीक्षण नहीं किया गया है।

15. क्या संबंधित मुख्य वनसंरक्षक भाग (ख) में दी गई सूचना और उप वनसंरक्षक के सुझावों से सहमत है।

हाँ

16. प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित मुख्य वनसंरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

अनुशंसित

दिनांक : 17.03.2021

स्थान - बिलासपुर।

(नवीद शुजाउद्दीन) भा.व.से.

मुख्य वन संरक्षक

बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर